**व्याख्यान VIII**

**जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार**

नमस्कार।

नालसार विधि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित और विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम सभी अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करने जा रहे हैं।

**जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इतना महत्वपूर्ण क्यों है?**

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मौलिक अधिकारों का दिल कहा जाता है क्योंकि आप जीवित हैं तब ही आप अन्य अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, यदि आप मर चुके हैं तो आपको भाषण के अधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्राप्‍त नहीं होगा, यदि आप मर गए हैं तो आप किसी भी धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं। यदि आप मर चुके हैं तो आपको समानता की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, सबसे पहले आपके जीवन की रक्षा की गारंटी होनी चाहिए, तभी आप अन्य अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए, जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार वास्तव में मौलिक अधिकारों का केंद्र है।

यह अधिकार वह मौलिक अधिकार है जो दुनिया में कहीं भी हर समय हर इंसान के पास होना चाहिए। यह एक प्राकृतिक अधिकार है, मूल अधिकार है, इसे मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा और अन्य सभी अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में शामिल किया गया है और यह एक अदेय (inalienable) अधिकार है, आपको अपने जीवन को अलग करने या अपने जीवन को बुझाने या अपने जीवन को छीनने का अधिकार नहीं है। अब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को 1215 के मैग्ना कार्टा में संदर्भ मिला है। मैग्ना कार्टा पहला प्रमुख मानव अधिकारों का दस्तावेज था, निश्चित रूप से, मैग्ना कार्टा ने बड़े पैमाने पर प्रक्रियात्मक अधिकारों की गारंटी दी थी, फिर भी हमें इसके महत्व को समझने की जरूरत है। मैग्ना कार्टा मूल रूप से सामन्तो (Baron) को अधिकार दे रहा था और मैग्ना कार्टा को कुछ ही समय में पोप द्वारा रद्द कर दिया गया था क्योंकि तत्कालीन पोप ने कहा था कि मैग्ना कार्टा के लिए किंग जॉन की सहमति एक स्वतंत्र सहमति (Free consent) नहीं थी। फिर भी, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि अधिकारों के इतिहास में मैग्‍ना कार्टा एक मील का पत्थर था।

और मैग्ना कार्टा ने क्या कहा? कि किसी भी व्यक्ति को कैद या गैरकानूनी तरीके से निर्वासित या किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जाएगा और न ही राजा उस पर कोई आदेश पारित करेगा और न उसे जेल में डालेगा जब तक कि देश के कानून के अन्‍दर अपने साथियों (Peers) के फैसलों द्वारा ऐसा नहीं किया जाता। यह कानून के शासन की गारंटी देने में भी एक मील का पत्थर था, इसने गिरफ्तार लोगों को अधिकारों की गारंटी दी, यह कानून की उचित प्रक्रिया (due process) के बिना निंदा न किए जाने का अधिकार था।

**अनुच्छेद 21 का क्या महत्व है जो भारत में हमारे संविधान में जीवन के अधिकार और व्‍यक्‍ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है?**

स्वयं राज्य को जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में लाया गया था, इसलिए यदि आप सामाजिक अनुबंध सिद्धांत (Social Contract theory) देखें तो राज्य बनाने का मूल कारण यह था कि लोगों के जीवन की रक्षा की जानी है और उनकी संपत्तियों की रक्षा की जानी है। अनुच्छेद 21 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव जीवन की रक्षा करता है, Sanctity of human Life को Protect करता है। हर इंसान का जीवन अनमोल है। लोकतांत्रिक समाज में अनुच्छेद 21 एक सर्वोच्च महत्व के संवैधानिक मूल्य का प्रतीक है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के बिना मानव जीवन असंभव है।

**अनुच्छेद 21 का मसौदा कैसे तैयार किया गया?**

मूल रूप से यह अनुच्छेद 15 था और हमारी संविधान सभा में 6 दिसंबर और 13 दिसंबर, 1948 को इस पर बहस हुई थी। सदस्यों के बीच मतभेद था। चूंकि हमारे पास 'कानून की उचित प्रक्रिया' (due process of law) को शामिल करने का विकल्प था, जो एक अमेरिकी सिद्धांत है, लेकिन संविधान सभा में कई सदस्यों ने महसूस किया कि उचित प्रक्रिया का सिद्धांत अस्पष्ट है, यह न्यायाधीशों को बहुत अधिक शक्तियां देता है और इसलिए, हमारे संविधान में निश्चितता लाने के लिए, हमने 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' को चुना जो जापान के संविधान से प्रेरित है। इसलिए, मूल अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, न ही किसी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित किया जाएगा। इसलिए समानता का अधिकार (Right to equality) और जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को शुरू में एक साथ जोड़ दिया गया था। बाद में उन्हें अलग-अलग कर दिया गया और अनुच्छेद 15 के मसौदे का दूसरा भाग अंतत: अनुच्छेद 14 बना और पहला भाग अनुच्छेद 21 बना।

**अनुच्छेद 21 क्या कहता है?**

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी को भी उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। हमने पहले चर्चा की है कि मौलिक अधिकार हैं जिनकी गारंटी हम 'नागरिकों' को ही देते हैं। अनुच्छेद 19 के अधिकार सिर्फ नागरिकों के अधिकार होंगे, लेकिन अनुच्छेद 21 में हम अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) की तरह सिर्फ नागरिकों तक इस अधिकार को सीमित नहीं कर रहे हैं बल्‍कि विदेशियों को भी, गैर-नागरिकों को भी भारत में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होगा।

**जीवन का क्या अर्थ है? जीवन क्या है?**

जीवन का अर्थ केवल पशु की तरह अस्तित्व नहीं है। यदि आपको जीवित रहने और सांस लेने की अनुमति है तो वह जीवन नहीं है। जीवन उन सभी अंगों और क्षमताओं तक फैला हुआ है जिनके द्वारा जीवन का आनंद लिया जाता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ में 1978 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, यह माना गया था कि जीवन का अधिकार भौतिक अस्तित्व (Physical existence) तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें मानव गरिमा (Human dignity) भी शामिल है। यह महत्वपूर्ण फैसला था। जीवन का अधिकार केवल पशु के अस्तित्व की तरह नहीं है। इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है और मानवीय गरिमा के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उसकी गारंटी दी जानी चाहिए। और फिर मेनका गांधी मामले में आगे कहा गया कि इसके साथ जो कुछ भी जुड़ा है, अर्थात् जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे पर्याप्त पोषण, कपड़े, सिर पर आश्रय और पढ़ने, लिखने और अपने आप को विविध रूपों में व्यक्त करने, स्वतंत्र रूप से घूमने आदि की सुविधाएं शामिल हैं- ये सभी मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार का हिस्सा हैं। और वे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा हैं, वे 'जीवन' अभिव्यक्ति के भीतर शामिल हैं। अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, केवल प्राकृतिक नागरिकों के लिए यह अधिकार है। अनुच्छेद 14 में हमने चर्चा की थी कि कंपनियों को भी समानता का अधिकार है लेकिन कंपनियां इंसानों की तरह जीवन नहीं जीती हैं। तो, प्राकृतिक व्यक्तियों का यह अधिकार है, मैंने आपको बताया कि यह अधिकार हमने अपने नागरिकों तक सीमित नहीं रखा बल्‍कि गैर-नागरिकों और विदेशियों को भी दिया। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (1985) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, यह माना गया था कि जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार (Right to livelihood) शामिल है। आपके पास आजीविका के साधन होने चाहिए। तभी आप जीवन को बनाए रख सकते हैं। कई बार हम ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जब कोई दुर्घटना में घायल हो जाता है, उसे निजी अस्पताल ले जाया जाता है जब तक कि आप भुगतान नहीं करते, अस्पताल इलाज शुरू करने से इनकार करते हैं, पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1996) में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में, निजी अस्पतालों में भी आपातकालीन चिकित्सा के अधिकार को भी शामिल किए हुए है।

तो आम तौर पर जब अधिकार को संबोधित करते हैं। जब हम अधिकारों बात करते हैं तो राज्य के विरूद्ध रिट Jurisdiction में हम अदालतों में जाते हैं लेकिन जब निजी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य के अधिकार की बात आती है, तो अस्पतालों को भी तुरंत आपका इलाज शुरू करना चाहिए क्योंकि यह आपके जीवन के अधिकार का हिस्सा है। ऐसे कई मामले हैं जो एम.सी. मेहता द्वारा दायर किए गए थे। ऐसे ही एक मामले में 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया था। बेशक, अगर हवा साफ नहीं है, अगर आपके चारों ओर प्रदूषण है तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिल सकती है, तो आपका जीवन या तो छोटा होने वाला है या समाप्त भी हो सकता है। आश्रय का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 साल की उम्र तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार भी जीवन के अधिकार में शामिल है। बेशक, यह निर्देशक सिद्धांतों में से एक है, लेकिन याद रखें कि इसमें उच्च शिक्षा शामिल नहीं थी। नई शिक्षा नीति में, जिसे सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है, उच्च शिक्षा को भी शामिल करने के इस अधिकार के विस्तार की संभावनाएं बनी हैं। 2002 में इस फैसले के बाद, संविधान का 86वां संशोधन किया गया और अनुच्छेद 21ए शामिल किया गया जो अब 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है और बाद में इसे संवैधानिक अधिदेश (Constitutional mandate) की तरह लागू करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (Right to Education Act) पारित किया गया।

प्रतिष्ठा का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है, हमने भाषण की स्वतंत्रता व्याख्यान में इस पर चर्चा की थी, मानहानि भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। यह प्रतिबंध क्यों है? क्योंकि किसी और को प्रतिष्ठा का अधिकार है। इसी तरह, नि: शुल्क और त्वरित सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 के भीतर निहित है क्योंकि न्याय में देरी से तात्पर्य न्याय से वंचित करना है। बेशक, जल्दबाजी में किया गया न्याय, न्याय को दफनाने के समान है (Justice hurried is justice buried)। लेकिन हमारे पास मामलों का बहुत बड़ा बैकलॉग है और इसलिए हमें त्वरित सुनवाई नहीं मिलती है। अब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि त्वरित सुनवाई और निष्पक्ष सुनवाई प्राप्त करना जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बहुत बड़ा हिस्सा है। एम.एच. होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानूनी सहायता का अधिकार भी जीवन के अधिकार का हिस्सा है और रामदेव बनाम गृह सचिव (2012) में, अच्छी नींद का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया था- रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन चल रहा था और फिर वहां रात में पुलिस की छापेमारी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छी नींद का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का बहुत बड़ा हिस्सा और भाग है।

**अब जीवन के अधिकार में क्या शामिल नहीं है?**

पी.रतिनम बनाम भारत संघ (1994) का एक प्रसिद्ध मामला है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अजीब तरह से माना कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। सर्वोच्‍य न्‍यायालय ने इस फैसले में कई जगहों पर मेरे लेख को भी उद्धृत किया, बाद में इस फैसले को खारिज कर दिया गया था, 1996 में ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में इसे सही रूप से खारिज कर दिया गया था। इसलिए, किसी को भी अपनी जान लेने का अधिकार नहीं है। जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। वोट का अधिकार अनुच्छेद 21 के भीतर शामिल नहीं है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल नहीं है। यदि कोई भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित हो जाता है, तो वह अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार का दावा नहीं कर सकता। वेतन में संशोधन का अधिकार- हर समय सरकारी कर्मचारी पूछते रहते हैं कि हमारा वेतन कम है और उसको बढ़ाया जाए। वेतन में संशोधन का कोई अधिकार नहीं है। फसलों के लिए अनुच्छेद 21 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का कोई अधिकार नहीं है।

**अब हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है?**

अमेरिकी संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत व्यापक अर्थ दिया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि लिबर्टी शब्द सभी स्वतंत्रताओं के रूप में है। इसलिए, स्वतंत्रता केवल शारीरिक संयमों (Bodily restraints) तक ही सीमित नहीं है और उन गतिविधियों की पूरी श्रृंखला तक फैली हुई है जिनका पालन करने के लिए एक व्यक्ति स्वतंत्र है। हमारे अनुच्छेद 21 में इस शब्द 'लिबर्टी' से पहले एक और शब्द जोड़ा गया, वह है 'व्यक्तिगत' (Personal) इसलिए जब हम बात अनुच्‍छेद 21 की कर रहे हैं तो लिबर्टी की नहीं ‘‘पर्सनल लिबर्टी’’ की कर रहे हैं। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी को भी उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अब यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि यह शब्द व्यक्तिगत स्वतंत्रता से पहले आता है, इसका मतलब यह है कि स्वतंत्रता की भारतीय गारंटी अमेरिकी स्वतंत्रता के अधिकार की तुलना में संकीर्ण है। खड़क सिंह बनाम यूपी राज्य (1963) में दिलचस्प मामला था, यह आदमी डकैती में शामिल था, बाद में इसे रिहा किया गया, तो पुलिस रात में आती और अधिवास का दौरा करती और दरवाजा खटखटाती थी यह पता लगाने के लिए कि खड़क सिंह घर में है या नहीं, खड़क सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) के उन नियमों को चुनौती देते हुए कहा कि यह बार-बार पुलिस का आना और दरवाजा ख्‍टखटाना मेरे निजता के अधिकार, मेरे स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हैं और यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत अधिकार तक सीमित नहीं है, यह कारावास, गिरफ्तारी या अन्य किसी भी तरह से शारीरिक बल प्रयोग जो कानूनी औचित्य को स्वीकार नहीं करता है, के अध्यधीन (Subjected) नहीं है। बल्कि इसमें मनुष्य की सभी स्वतंत्रताएं शामिल हैं जो अनुच्छेद 19 खंड (1) में शामिल नहीं हैं। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 19 खंड (1) को चार्टर ऑफ लिबर्टी कहा जाता है। इसमें कई अधिकारों की गारंटी दी गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने-फिरने का अधिकार, व्यापार और व्यवसाय या रोजगार की स्वतंत्रता। यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कुछ भी अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है वह अनुच्छेद 21 में शामिल है। इसलिए, अनुच्छेद 19 विशिष्ट स्वतंत्रता (Specific liberty) की बात करता है और अनुच्छेद 21 अवशेष स्वतंत्रता (Residue liberty) की बात करता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यापक आयाम (Amplitude) है और इसमें विभिन्न प्रकार के अधिकार शामिल हैं।

**तो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में क्या शामिल है?**

2017 में निजता के अधिकार पर जस्टिस के.एम. पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार मानव गरिमा की संवैधानिक संहिता का हिस्सा है, इसे अनुच्छेद 21 के भीतर शामिल किया गया है, अदालत ने कहा कि संविधान की चुप्पी भी महत्वपूर्ण है। इसलिए, भले ही अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार का उल्लेख नहीं है, फिर भी यह अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। बेशक, किसी भी अन्य मौलिक अधिकार की तरह, निजता का अधिकार पूर्ण अधिकार (Absolute Right) नहीं है। लेकिन निजता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है और मानवीय गरिमा का हिस्सा है। इस प्रकार, आसान गुण वाली महिला (Women of easy virtue) भी निजता के अधिकार की हकदार है। टेलीफोन टैपिंग निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। लेकिन अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव है और डॉक्टर उसकी होने वाली पत्नी को उसकी स्थिति का खुलासा करता है, तो इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। विदेश यात्रा का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। कैदी को किताब लिखने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। उसे परिवार के सदस्यों के साथ मेलजोल करने का भी अधिकार है। अभियुक्त (Accused) को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही हथकड़ी लगाने की अनुमति है।

मैंने अभी आपसे कहा था कि मरने का अधिकार नहीं है, पी. रतनम का फैसला गलत था, ज्ञान कौर का फैसला सही है और अभी भी कायम है लेकिन अगर कोई लाइलाज बीमारी से पीड़ित है और वानस्पतिक अवस्था (Vegitative State) में है तो पैसिव यूथेनेसिया का विकल्प चुना जा सकता है। जिस जीवनसाथी से आप शादी करना चाहते हैं उसे चुनने का अधिकार निश्चित रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। रुदुल साह बनाम बिहार राज्य में मुआवजे का अधिकार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के लिए रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए भी मुआवजा दिया जा सकता है। यह एक उल्लेखनीय नया संवैधानिक विकास था, क्योंकि आम तौर पर रिट में आदेश जारी किए जाते हैं लेकिन यहां मुआवजा दिया गया था। फांसी में देरी - आपको मौत की सजा हो गई लेकिन आपको अभी तक फांसी नहीं दी गई है। इसलिए, हर समय आपके सिर पर मौत का खौफ मंडराता रहता है जो मौत से भी ज्यादा भयावक है । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फांसी में देरी जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा कि सार्वजनिक फांसी होनी चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक फांसी क्रूर सजा होगी, अमानवीय सजा होगी और इसलिए यह जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा। बिजली का अधिकार, प्रदूषण मुक्त पानी का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में शामिल है, क्योंकि अगर आपको पानी नहीं मिलेगा और बिजली नहीं मिलेगी तो आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते।

**कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का क्या अर्थ है?**

हम समझ गए कि जीवन क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है, अब यह अनुच्छेद 21 में तीसरी प्रमुख अभिव्यक्ति है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका अर्थ है, क़ानून द्वारा स्थापित या कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, यह प्रक्रिया वैध कानून के तहत होनी चाहिए। हमने इस व्याख्यान की शुरुआत में चर्चा की थी कि जानबूझकर संविधान निर्माताओं ने हमारे जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उचित प्रक्रिया सिद्धांत को नहीं अपनाया क्योंकि यह एक व्यापक अभिव्यक्ति है। क्योंकि अदालतें कानून की न्यायसंगतता और निष्पक्षता की जांच करेंगी और कानून की निश्चितता (Certainty) हताहत होगी। तो, शुरू में ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) में हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब राज्य द्वारा अधिनियमित प्रक्रिया से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए, यदि राज्य ने एक कानून पारित किया है और वह कानून किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को छीन लेता है, तो यह पर्याप्त है। गोपालन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया में कानून की उचित प्रक्रिया शामिल नहीं है। लेकिन 28 साल बाद मेनका गांधी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पर्याप्त नहीं है कि एक कानून है जिसने एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जीवन के अधिकार से वंचित करने की प्रक्रिया प्रदान की है, लेकिन वह कानून भी उचित, निष्पक्ष, व्यवहार्य, गैर-मनमाना (Non-Arbitrary) होना चाहिए। काल्पनिक या दमनकारी नहीं होना चाहिए। इसलिए, यदि आपके पास केवल एक कानून है, तो कानून की आवश्यकता द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। यदि वह कानून नियत प्रक्रिया की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। एक तरह से सक्रिय न्यायपालिका के माध्यम से नियत प्रक्रिया भारत में वापस आ गई है।

**अनुच्छेद 14, 19 और 21 के बीच क्या संबंध है?**

अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की बात करता है, अनुच्छेद 19 बहुत से अधिकारों की बात करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, घूमने-फिरने की स्‍वतंत्रता देता है, Union और Association बनाने की स्‍वतंत्रता देता है आपको कोई व्‍यवसाय चुनने की स्‍वतंत्रता देता है और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। ए. के. गोपालन के मामले में, यह माना गया कि ये अनुच्‍छेद 14, 19 और 21 परस्पर संबंधित नहीं हैं, ये विशिष्ट (Exclusive) हैं। इसलिए, अनुच्छेद 19 निवारक नजरबंदी (Detention) पर लागू नहीं होता है। मेनका गांधी मामले में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनुच्‍छेद आपस में जुड़े हुए हैं और उन्हें एक साथ पढ़ा जाना है। हाल ही में गोपनीयता के फैसले में भी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारों को कोष्ठागार (Silos) में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। तो अब अनुच्‍छेद 14, 19, 21 को एक साथ पढ़ना होगा, क्योंकि अनुच्छेद 14 में (Reasonableness) का जिक्र है, अनुच्‍छेद 19 में भी (Reasonableness) का जिक्र है और अब अनुच्‍छेद 21 में भी युक्तिसंगतता (Reasonableness) की बात आ गई है।

**जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार कब निलंबित किए जा सकते हैं?**

प्रत्येक राष्ट्र कभी-कभी आपातकाल की घोषणा करता है, इसलिए जब सशस्त्र विद्रोह या युद्ध या बाहरी आक्रमण से भारत की सुरक्षा को खतरा हो तो अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है पहले शब्द आंतरिक अशांति (Internal disturbance) भी था जिसके आधार पर 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था। अब, यह अभिव्यक्ति हटा दी गई है। अनुच्छेद 358 कहता है कि अगर ऐसी कोई आपात स्थिति होती है तो अनुच्छेद 19 के तहत सभी अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे। अन्य अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 359 कहता है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से उन अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। मैंने अभी बताया था कि 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया और अनुच्छेद 21 को निलंबित कर दिया, न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित कर दिया गया था। और तब अवैध हिरासत (illegal detention) के खिलाफ कई लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) के लिए अदालत में गए, तो एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला का बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर अदालत में जाने का अधिकार निलंबित कर दिया जाता है या अनुच्छेद 21 को निलंबित कर दिया जाता है तो अब बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) की रिट जीवित नहीं रह सकती है। अनुच्‍छेद 20, 3 अधिकारों की बात करता है- कार्योत्तर (Ex Post facto) कानून के खिलाफ अधिकार। इसलिए, आपके पास आपराधिक कानूनों का पूर्वव्यापी संचालन (Retrospective operation) नहीं हो सकता है। दोहरे दंड (Double Jeopardy) के खिलाफ अधिकार- एक ही अपराध के लिए आपको दो बार सजा नहीं दी जा सकती है। आत्म-दोष (Self incrimination) के खिलाफ अधिकार, 44वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अब गैर-उल्लंघनीय (Non derogable) अधिकार हैं और इन्हें आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है।

**आइए आधार निर्णय पर आते हैं।**

आधार के बारे में काफी बहस और विवाद रहा है, मूल रूप से यह एक कार्यकारी आदेश के तहत था, बाद में 2016 में आधार अधिनियम पारित किया गया था। आधार क्या है? आधार सत्यापन योग्य 12-अंकीय पहचान संख्या है जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी की जाती है। याद रखें आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, यह निवास का प्रमाण है। आधार अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए अनेकों लोग सुप्रीम कोर्ट गए। अदालत ने शुरू में निजता के मामले को 9 जजों की बेंच को निर्णय के लिए दिया जिसका हमने संदर्भ दिया था। और बाद में इस मामले में आधार अधिनियम की संवैधानिकता पर फैसला आया। और सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण, अपराधों के संज्ञान और निजी निगमों द्वारा आधार पारिस्थितिकी तंत्र के उपयोग के कुछ प्रावधानों को छोड़कर आधार अधिनियम को बरकरार रखा।

इस प्रकार, जबकि आधार अधिनियम को बरकरार रखा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च, 2017 के सर्कुलर को रद्द कर दिया, जिसमें मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ना असंवैधानिक पाया गया था, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि यह किसी भी कानून द्वारा समर्थित नहीं है, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि आधार निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। अदालत ने कहा कि आधार की संरचना और आधार अधिनियम के प्रावधान एक निगरानी राज्य(Surveillance State) बनाने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं।

**अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार लोगों के अधिकार**

गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों को क्या सुरक्षा उपलब्ध है। अनुच्छेद 22 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में यथाशीघ्र सूचित किए बिना गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। न ही उसे अपनी पसंद के कानूनी प्रैक्टिसनर द्वारा परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। हमने अभी चर्चा की है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल शारीरिक बंधनों से परे है। लेकिन यहां विशेष रूप से अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के सवालों का निराकरण कर रहा है। अब पेशे के रूप में वकालत का उल्लेख अनुच्छेद 22 में किया गया है। आश्चर्यजनक रूप से भारत के संविधान में किसी अन्य पेशे का उल्लेख नहीं किया गया है। और फिर अनुच्छेद 22 कहता है कि जो भी गिरफ्तार किया जाए उसे 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। अब ये अधिकार, कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार, गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने का अधिकार, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार दो श्रेणियों के व्‍यक्‍तियों के लिए उपलब्ध नहीं होगा - प्रथम विदेशी शत्रु, अगर कोई बाहरी या विदेशी है जो हमारे देश के साथ युद्ध में है या जिसे हमारी सरकार ने दुश्मन घोषित कर दिया है, तो हम उसे इन अधिकारों की सुरक्षा नहीं देंगे। इसी तरह, जिन्हें निवारक निरोध कानूनों (Preventive Detention Laws) के तहत गिरफ्तार किया गया है, जैसे कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) या 1975 में कई लोगों को मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया था, अब ये निवारक रोधी कानून उचित हैं क्योंकि रोकथाम इलाज से बेहतर है (Prevention is better than cure)। क्योंकि, उस व्यक्ति ने अभी तक अपराध नहीं किया है उसे अपराध से रोकने के लिए अपराध करने से पहले ही हिरासत में ले लिया जाता है। एचआईवी एड्स के संदर्भ में हमने देखा है कि बचाव ही एकमात्र इलाज है। और अभी, हम कोविड -19 में अनुभव कर रहे हैं, रोकथाम ही असली इलाज है। और इसलिए, हमें सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के बिना बाहर नहीं जाना चाहिए और हमेशा अपना मास्क लगाकर रखना चाहिए। अनुच्छेद 22 किसी हिरासत (Detention) के लिए 3 महीने से अधिक की अनुमति नहीं देता जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड की सिफारिश ऐसी अनुमति दे, जिसमें ऐसे सदस्य शामिल होंगे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हों या न्‍यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हों। 1978 में 44वें संशोधन ने निवारक हिरासत कानूनों को और मानवीय बनाने का प्रयास किया लेकिन इस संशोधन को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।

**तो, आज हमने क्या सीखा?**

जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे कीमती, बहुमूल्‍य और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। अमेरिकी नियत प्रक्रिया (Due Process of Law) जो मूल रूप से हमारे संविधान में नहीं थी अब न्‍यायपालिका की वजह से शामिल हो गई है। अगले व्याख्यान में हम एक और बहुत महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार - धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे।

आपका बहुत बहुत धन्यवाद।